प्रेस विज्ञप्ति
17/04/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सुनील स्पोंज प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स एसएसपीएल) की 77.51 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, रायपुर (सीईसीबी) द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 और 40 के तहत मेसर्स एसएसपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ 05/09/2018 को दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की है। उक्त शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सीईसीबी से आवश्यक संचालन सहमति प्राप्त किए बिना 5 मेगावाट बायोमास आधारित बिजली संयंत्र का संचालन शुरू कर दिया था और अपनी कंपनी यानी मेसर्स एसएसपीएल में बिजली उत्पादन शुरू कर दिया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स एसएसपीएल ने सीईसीबी से संचालन के लिए वैध सहमति प्राप्त किए बिना 2 मार्च, 2018 से बिजली उत्पादन के लिए अपने 5 मेगावाट बायोमास पावर प्लांट को चालू और संचालित किया और यह 12 जुलाई, 2018 तक काम कर रहा था।

जांच के दौरान पीएमएलए, 2002 के तहत 15.04.2025 को 77.51 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।